न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठसीन अधिकारी श्री कैलाश चन्द्र गुर्जर

दावा संख्या ::–3/2023

प्रेमबाई पुत्री देवीलाल जटिया निवासी चंदाखेडी तह0 बेगूँ
(आदेश दि. 18.08.23 से निवासी चन्दाखेडी के बजाय तारी पीपली किया)

वादीया

बनाम

1– श्रीमान क्षैत्रीय वन अधिकारी महोदय वन विभाग कार्यालय, बेगूँ
2– श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बेगूँ
3– राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलक्टर महोदय, चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादीया
श्री विजयप्रकाश शर्मा
अधिवक्ता प्रति. सं. 1

निर्णय दिनांक :– 27.10.2023

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीया की ओर से वाद पत्र अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत कर वाद पत्र में निवेदन इस प्रकार से किया कि वादीया देवीलाल पिता भुवाना जी जटिया की पुत्री होकर देवीलाल जी के ओर कोई जाइन्दा संतान नहीं है वादीया ही एक मात्र उसकी चल अचल सम्पत्ति पर काबीज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही है।

यह कि वादीया के पिता देवीलाल पिता भुवाना जी जटिया को सन 1970 में भूमिहीन कृषक होने के कारण आवंटन सलाहकार समिति कके द्वारा ग्राम चंदाखेडी प.ह. शादी के सेटलमेंट पूर्व के पुराने आराजी नम्बर 02 के रकबे में से 05 बीघा 07 बिस्वा भूमि अन्य 15 भूमिहीन व्यक्तियों काश्तकारों के साथ आवंटन की गई थी तब से ही उक्त भूमि पर वादीया के पिता देवीलाल काबिज होकर काश्त कर रहे थे। उक्त भूमि पर वादीया के पिता देवीलाल के निधन से ही वादीया काबिज हो काश्त करती चली आ रही है। वादीया के पिता ने उक्त भूमि पर कुंआ खुदवा कर बिजली कनेक्शन ले रखा है तथा उक्त भूमि के चारो तरफ पत्थरारे की दीवार बना रखी है। जिसके वर्तमान आराजी संख्या 493 रकबा 36.5930 हैक्टर जिसमें से 5बीघा 07 बिस्वा भूमि पर वादीया के पिता को आवंटित हुई जिस पर वादीया काबिज है।

वदीया के पिता के नाम आवंटन होने के पश्चात वादीयाक` पिता के नाम से इंतकाल संख्या 59 से राजस्व रेकार्ड में वादीया के पिता के नाम से नामान्तरण गैरखातेदारी हक से उक्त भूमि दर्ज रेकार्ड हुई। गैरखातेदारी हक से दर्ज होने के पश्चात तत्कालीन तहसीलदार साहब बेगूँ के द्वारा उक्त वाद वर्णित नामान्तरण व 1[illegible] काश्तकारों के नामान्तरण को बिना किसी आदेश के खारीज कर दिया गया [illegible] भू प्रबंध कर्मचारियों के द्वारा वाद वर्णित भूमि को प्रतिवादी संख्या एक वन विभाग के नाम पर दर्ज रेकार्ड कर दिया गया।

यह कि वाद वर्णित भूमि [illegible] नाम दर्ज रेकार्ड हो[illegible] जानकारी हाने पर समस्त 16 आवंटित काश्तकारों ने जिला कलक्टर महोदय, चितौडगढ़ के यहाँ प्रार्थना पत्र पेश कर आवंटितशुदा भूमि को बहाल करने का निवेदन किया गया इस पर तहसीलदसार साहब बेगूँ ने अपने पत्र कमांकरीडर/जारॅच/2003/241 दिनांक 20.07.2003 को जॉच रिपोर्ट पेश की जिस पर जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ के द्वारा पत्र कमांक /राजस्व/12–12/12/2003/बेगूँ 720 दिनांक 02.08.2003 को तहसीलदार साहब बेगूँ को पत्र भेज कर उक्त भूमि का आवंटित काश्तकारो के नाम पुनः नामान्तरण दर्ज करने के आदेश दिये इस पर उपखण्ड अधिकारी महोदय बेगूँ के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:33:28 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वादीया मृतक देबीलाल की पुत्री होकर उक्त आवंटित भूमि पर काबिज हो काश्त कर रही है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने वादीया के पिता के नाम का नामांतरण दर्ज रेकार्ड नहीं किया गया जिस पर वादीया ने प्रतिवादी संख्या 2 श्री भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूँ के यहां दिनांक 12.12.2022 को एक प्रार्थिना पत्र प्रस्तुत कर नामांतरण खोले जाने का निवेदन यिका गया लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं होने से वाद पत्र माननीय न्यायालय श्रीमान आप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि वाद कारण दिनाक 12.12.2022 को वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या दो को नामान्तरण खलाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। यह कि प्रतिवादी संख्या एक के नाम भूमि दर्ज रेकार्ड हो जाने से व प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूँ व प्रतिवादी संख्या 3 राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ से वाद पत्र में पक्षकार बनाया गया है।

यह कि उक्त वादपत्र लोकर सेवको के विरूद्ध होने से कानूनन वादपत्र प्रस्तूती से पूर्व धारा 80 व्यव.प्र.सं. के अन्तर्गत 60 दिवस का पंजीकृत सूचना पत्र दिया जाना आवश्यक होता है लेकिन उसमें लम्बा समय लगेगा तब तक प्रतिवादी संख्या एक भूमि का स्वरूप बिगाड सकते है इसलिए वादपत्र के साथ धारा 80(2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र अलग से वादपत्र के साथ प्रस्तुत है। वर्णित कृषि आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होन`से एवं श्रवणाधिकार भी न्यायालय श्रीमान को प्राप्त होने से वाद श्रीमान के यहां प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न अनुतोष की डिक्री फरमाई जावे:—

(क) कि मौजा चंदाखेडी प.ह. शादी तहसील बेंगूँ के सेटलमेन्ट पूर्व के आराजी संख्या 2 जिसके वर्तमान आराजी संख्या 493 रकबा 36.5930 हैक्टर मे से रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा भूमि वादीया के पिता देबीलाल के नाम से आवंटित हुई थी उक्त भूमि को वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीया के नाम से राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान करायी जावें।

(ख) कि दौराने वाद प्रतिवादी संख्या एक को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादिया के पिता देबीलाल के नाम से आवंटित शुदा आराजीयात भूमि के स्वरूप को न तो स्वयं और ना ही अपने किसी नौकर एजेंट कर्मचारी द्वारा नहीं बिगाडे।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष जो वादी को सुलभ हो प्रदान किया जावें।

वादीया का वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । पत्रावली में प्रतिवादी संख्या एक क्षैत्रीय वन अधिक़ारी, बेगूँ द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादीया का वादपत्र अस्वीकार है वादीया के पिता देबीलाल के एक पुत्र संतान भी है वादिया ने गलत तथ्य अंकित किये हैं, वादीया के पिता को कोई भूमि आवंटित नहीं हुई थी। ना ही वर्तमान में वादीया का कोई कब्जा है, वर्तमान आराजी नम्बर 493 वन भूमि है जिसमें काश्त ... किसी को भूमि आवंटित नहीं हो सकती है धारा 16 के तहत उक्त वन भूमि में गैर वानिकी ... है तथा एक बार कोई भूमि वन भूमि घोषित हो गयी है तो उसे किसी अन्य ... से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:33:28 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वादपत्र की ... जवाब इस प्रकार है कि जब नामान्तरण संख्या 59 तहसीलदार बेगूँ द्वारा खारीज कर दिया गया तो उस निर्णय की अपील किया जाना आवश्यक था उसके अभाव में वादीया का वाद पोषणीय नहीं है। यह सही है कि भूमि भूप्रबन्ध से पूर्व ही वन भूमि थी व रेकार्ड में भूमि वन विभाग के दर्ज रेकार्ड है जिसका कानूनन अन्य भूमि परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। वादीया के वादपत्र के सभी तथ्य गलत है,चूंकि नामान्तरण का अधिकार संभागीय आयुक्त उदयपुर को जाता है जिन पर जिला कलक्टर चितौडगए को कोई आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था यदि पारित भी किया तो वह कानून विपरीत है वन भूमि की कानूनन किस्म परिवर्तन किया जाना ...

प्रतिवादी संख्या एक के नाम दर्ज नहीं होकर वन विभाग के नाम दर्ज है जिसके जिला चितौडगए के मुख्य अधिकारी जिला वन अधिकारी है जो प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है जिसके अभाव में वाद वादीया पोषणीय नहीं है। कानूनन दफा 80 का प्रकरण संख्या का सूचना पत्र आवश्यक है जिसके अभाव में भी वाद वादीया खारिज योग्य है तथा 80(2) का प्रार्थना पत्र पर भी प्रकरण में कोई आदेश पाकिरत नहीं हुआ है जिससे भी वाद वादिया खारिज होने योग्य है। जवाब दावे के विशेष कथन में निवेदन किया है कि प्रकरण में जिला वन अधिकारी को पक्षकार न बनाये जाने के कारण वाद वादिया खारिज योग्य है। तथा धारा 80 का प्रकरण संख्या का सूचना पत्र के अभाव में वाद वादिया कानूनन चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावें। इसके अतिरिक्त अपने जवाब में राजस्थान वन अधिनियम 1953 की विभिन्न धाराओं का उल्लेख किया गया है जिनका अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। अपने जवाब में यह भी उल्लेखित किया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा वनखण्ड चन्दाखेडी –पालका में वन विभाग के नाम दर्ज समस्त भूमि को रिजर्व फोरेस्ट घोषित किया गया। राजस्व रेकार्ड वनभूमि का कोई प्रमाणित रेकार्ड नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत वनों के अपाक्षरण या वन भूमि के वनेतर प्रयोजन के लिये उपयोग पर निर्बन्धन किसी राजय में तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी यह निदेश करने वाला कोई आदेश केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं देगा।

अति0मुख्य सचिव के आदेश कमांक प.1 (53) वन/2011 दिनांक 29.12.2012 के कम में यह भी उल्लेखनीय है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के परिपेक्ष्य मे माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.12.1996 अन्तर्गत विधिक व्यवस्था में राज्य सरकार अथवा अन्य प्राधिकरण द्वारा भी वन भूमि को गैर वन भूमि के प्रयोग के लिए अनुमति दिया जाना प्रतिबंधित किया हुआ है। वन भूमि का राजस्व अभिलेख में इन्द्राज नहीं करना या इन्द्राज नहीं होने के आधार पर इसका गेर वन भूमि के रूप में उपयोग किये जाने की स्थिति पैदा करता है जिससे वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 का उल्लघंन होने के धारा 3 की व्यवसाी के अनुसार दण्डनीय अपराध बनता है। किसी जिले में राजस्व अधिकारी द्वारा वन भूमि पर खातेदारी अधिकार दे दिया जाता है या वन भूमि को गैर वन भूमि के रूप में प्रयोग की अनुमति दी जाती है एवं ऐसा प्रकरण राज्य सरकार के संज्ञान में आता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण भारत सरकार को संदर्भित किया जावें। जवाब में सिविल रिट पीटिशन का उल्लेख करते हुए निवेदन किया कि जवाब वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीया का वाद कानूनन वन विभाग के विरूद्ध चलने योग्य नहीं होन`से खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली में तहसीलदार बेगूँ द्वारा अपने जवाब दावे में निवेदन इस प्रकार से किया गया कि यह सही है कि वादीया प्रेमबाई देबीलाल पिता भुवाना जटिया की पुत्री है, जो रिपोर्ट भू.अ.नि. से प्रमाणित है। यह कि देबीलाल पिता भुवाना जटिया को वर्ष 1970 में ग्राम चंदाखेडी में भू प्रबंध से पूर्व आराज `निम्बर 02 में [illegible] भूमि आवंटन हुई थी। देबीलाल को 15 अन्य काश्तकारों के साथ भूमि आवंटन हुई थी। आराजी नम्बर 02 के नये नम्बर 493, 494, 495 बने है। उक्त आराजीयात वर्तमान में वन विभाग के नाम दर्ज है।

यह सही है कि वादीया के पिता का भूमि आवंटन होने से भू प्रबन्धक के पश्चात नवीन राजस्व रेकार्ड में अमल हेतु ना.स. 59 पटवार हल्का द्वारा दज्र किया गया पटवार हल्का द्वारा जिसके नये नम्बर 1022/493 रकबा 4 बीघा व आराजी नम्बर 1027/493 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा प्रस्तावित किये गये थे। भू प्रबन्ध पश्चात उक्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज होने से आधार पर तत्कालीन तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरण खारिज किये गये ।

यह कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बेगूं के प्र.सं. 74/74 निग्रय दिनांक 23.02.2019 के संदर्भ में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा गैर ख्यातेदारी हक से आवंटियो के नाम नामान्तरण खोले जाने बाबत निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश की पालना में कई आवंटियों के नाम गैर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:33:28 IST
Reason: SelfAttested

। पत्रावली में जवाबदावा प्रतिवादीगण का प्राप्त होने के उपरान्त निम्न लिखित तनकी पत्र पृथक से कायम किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया जो निम्न प्रकार से है:–

1– आया कि मौजा चंदाखेडी प0ह0 शादी के सेटलमेन्ट पूर्व के आराजी संख्या 2 जिसके वर्तमान आराजी संख्या 493 रकबा 36.5930 हैक्टर मे से रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि वादीया के पिता देबीलाल के नाम से आवंटित हुई थी। उक्त भूमि मे वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीया के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान करायी जावें, वादीया

2– आया कि दौराने वाद प्रतिवादी सं. 1 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादीया के पिता देवीलाल के नाम से आवंटित शुदा आराजीयात भूमि के स्वरूप का ना तो स्वयं और न ही अपने किसी नौकर ऐजेन्ट कर्मचारी द्वारा बिगाडे ? वादीया

3– आया कि वादीया के पता को कोई भूमि आवंटित हुई थी न ही वर्तमान में वादीया का कोई कब्जा नहीं है वर्तमसान आराजी नम्बर 493 वन भूमि है जिसमें काश्तन किसी को भूमि आवंटित नहीं हो सकती है, प्रतिवादी सं.1

4– आया कि कानूनन दफा 8 का प्रकरण सं0 सूचना पत्र आवश्यक है जिसके अभाव में भी वाद वादीया खारिज होन `योग्य है तथा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पर भी प्रकरण में काई आदेश पारित नहीं हु आ है जिससे भी वादीया का वाद खारिज होने योग्य है? प्रतिवादी सं.1

5– आया कि प्रकरण में जिला वन अधिकारी को पक्षकार न बनाये जाने के कारण वाद वादीया खारिज होने योगय है एवं राजस्थान वन अधिनियम 1953 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत दावा खारिज होने योगय है? प्रतिवादी सं.1

6– आयसा कि वादीया प्रेमबाई देवीलाल पिता भुवाना जटिया कीपुत्री है। देवीलाल पिता भुवाना जटिया को वर्ष 1970 में ग्राम चंदाखेडी में भू प्रबंन्ध से पूर्व आराजी संख्या 02 में रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा भूमि आवंटन हुई थी। देबीलाल को 15 अन्य काश्तकारो के साथ भूमि आवंटन हुई थी।आराजी सं0 2 के नये नम्बर 493, 494, 495 बने है। वादीया के पिता को भूमि आवंटन हाने से भू प्रबन्ध के पश्चात नवीन राजस्व रेकार्ड में अमल हेतु नामान्तरण संख्या 59 प0ह0 द्वारा दर्ज किया गया। जिसके नये नम्बर 1022/493 रकबा 4 बीघा व आराजी संख्या 1027/493 रकबा 1बीघा 7 बिस्वा प्रस्तावित किये थे। भू प्रबन्ध पश्चात उक्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज होने से आधार पर तत्कालीन तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरण को खारिज कर दिया गया? प्रतिवादी सं.2

7– आया कि यह सही है कि श्रीमान उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के प्रकरण संख्या41/74 निण्रय दिनांक 23.02.2019 के संदर्भ में जिला कलक्टर महोदय द्वारा गैर खातेदारी हक से आवंटियों के नाम नामान्तरण खोले जाने बाबत निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश की पालना में कई आवंटियों के नाम गैर खातेदारी हक से नामान्तरण खोले जाकर भूमि दर्ज रेकार्ड की गई थी। वादीया के पिता के नाम नामान्तरण नहीं खोला जाकर भूमि राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं की गई थी? प्रतिवादी सं.2

8–दादरसी ?

पत्रावली में उपरोक्त तनकी पत्र कायम किये जाने के उपरान्त वादीया की ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र वादीया प्रेमबाई पिता देवीलाल जटिया का, गवाह शिवलाल पिता प्यारा धाकड ,कन्हैयॉलाल पिता नंदा धाकड के बयान प्रस्तुत किये जिनसे अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जिरह की जाकर वादीया एवं गवाह वादीया के बयानों को कलम बद्ध कराया गया तथा वक्त जिरह वादीया द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कर अपने बयान कलमबद्ध कराये गये। साक्ष्य वादी पूर्ण होने के उपरान्त प्रतिवादी क्षैत्रीय वन अधिकारी बेगूँ की ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रतिवादी नारायणसिंह कच्छावा पिता हरिसिंह जी का प्रस्तुत किया गया जिनसे अधिवक्ता वादीया ने अपनी जिरह करते हुए प्रतिवादी के बयानों को कलमबद्ध कराया गया है। पत्रावली में वादीया एवं प्रतिवादी के बयान पूर्ण होने के पश्चात वाद पत्र अ.धा. 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:33:28 IST
Reason: SelfAttested

बहस में अधिवक्ता वादीया द्वारा अपनी बहस वाद पत्र अनुसार निवेदन करते हुए कहा

आवंटन उक्त भूमि के आराजी संख्या 02 थे तथा रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा था, वादीया के पिता के पक्ष में गैरखातेदारी हक से नामान्तरण भी खोला गया था लेकिन उसे तहसीलदार द्वारा खारिज किया गया , भू प्रबन्ध के पश्चात आराजी संख्या 2 के नये आराजी नम्बर 493 बने हे जो वर्तमान में वन विभाग के नाम पर दर्ज है जबकि भूमि पर कब्जा काश्त देबीलाल व उसकी मृत्यु के पश्चात उनकी पुत्री वादीया प्रेमबाई पिता देबीलाल का लगातार चला आ रहा है, वादीया के पिता को भूमि का आवंटन होकर काबिज काश्त होने से वादीया उक्त भूमि को अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराने की घोषणा करा पाने की अधिकारी है। अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद पत्र डिक्री फरमाया जावें। वादीया के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के निम्न न्यायिक उद्हरण की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है जिनमें आर आर टी 2003 पार्ट II पेज सं0 1027, आर आर टी 2001 पार्ट I पेज सं0 520 एवं आर आर टी 2008 पार्ट I पेज सं0 101 प्रस्तुत की है जिनका भी अवलोकन हमारे द्वारा किया गया है।

बहस में अधिवकता प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीया को उक्त भूमि की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत करने का ही अधिकार नहीं है क्यो कि वाद वर्णित भूमि वन विभाग की भूमि है, वन भूमि हेतु राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की समय समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार वन भूमि को किसी भी गैर व्यक्ति को काश्त हेतु दिये जाने या उसकी घोषणा किये जाने पर रोक है, भूमि पर कब्जा वादीया का नहीं है। वैसे भी वादीया द्वारा नियमानुसार राजकीय भूमि के सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्रतिनिधि को दफा 80 सी.पी.सी. का नोटिस देना होता है जो उनके द्वारा नहीं दिया है ना ही वादपत्र में प्रस्तुत 80(2) जा.दी. पर कोई आदेश ही न्यायालय द्वारा किया हुआ है। साथ ही वादीया द्वारा वन विभाग की भूमि पर वाद प्रस्तुत करने हेतु जिला वन अधिकारी को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होता है जो उन्हें पक्षकार भी नहीं बनाया हैं जिससे वादीया का वाद पत्र खारिज किया जाने योग्य है।

हमारे द्वारा बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुने जाने के उपरान्त पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर पत्रावली में कायम तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है :–

1– <u>तनकी नम्बर 1 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीया का है, वादीया द्वारा अपने वाद पत्र को सिद्ध करने हेतु जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उनमें प्रदर्श–1 एक प्रार्थना पत्र है जो आवंटन नाभान्तरण खुलवाने बाबत तहसीलदार बेगूं को दिनांक 12.12.2022 को प्रस्तुत किया गया है उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के पत्र कमांक/राजस्व/12–12/12/02/बेगूं 720 दिनांक 02 अगस्त 2003 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया है, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में गत आराजी संख्या 02 जिसके ाल आराजी संख्या 493, 494, 495 बने है उक्त आवंटनो के नाम गैरखातेदारी से नामान्तरण खोला गया जिसको तत्कालीन तहसीलदार साहब बेगूं ने खारिज कर दिया था। जो बाद में श्रीमान तहसीलदार साहब बेंगूं के पत्रांक/रीडर/जांच/2003/241 दिनांक 20.07.2003 को प्रेषित पत्र का श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चितौडगढ द्वारा अवलोकन कर पुनः तहसीलदार साहब बेगूं को उपखण्ड अधिकारी महोदय बेगूं के प्रकरण संख्या 41/74 निर्णय दिनांक 23.02.19 की पालना में आवंटियों के नाम गैरखातेदारी हक से दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया जिससे अधिकांश का नामान्तरण खुल गया परन्तु मुझ प्रार्थीया के पिता ... नाम पर ... हुआ था जिसका नामान्तरण नहीं खुला। इस तथ्य का उल्लेख किया हुआ है।

प्रदर्श–2 नकल नामान्तरण संख्या 59 का अवलोकन किया गया उक्त नामान्तरण गत भू प्रबन्ध श्री देवी पिता भुवाना जाति जटिया गैरखातेदार की नवीन भू प्रबन्ध बिलानाम वनविभाग के अंकन से श्री देवी पिता भुवाना जटिया सा.देह गैरखातेदार के नाम पर खोला गया था उक्त नामान्तरण मौजा चन्दखेडी की गत आराजी संख्या 2 जिसके वर्तमान नम्बर 493 दर्शाते हुए वर्तमान आराजी संख्या 1022/493 रकबा 4बीघा व आराजी संख्या 1027/493 रकबा 1बीघा 07 बिस्वा कुल किता–2 कुल रकबा 5बीघा 7 बिस्वा के लिए खोला गया, उक्त इन्तकाल पर रिपोर्ट अंकित है कि गत भू प्रबंध में हुए आवंटन को वापिस भू प्रबन्ध परिवर्तन आदेश श्रीमान एस.डी.ओ. सा. के आदेश से खोला गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 16:33:28 IST
Reason: SelfAttested

उक्त नामान्तरण पर रिपोर्ट अंकित की गई है कि एक बार नामान्तरण खुलता है उसी पर निर्णय होगा इस इन्तकाल का क्या होगा स्पष्ट नहीं है ,आदेश स्पष्ट फरमावें। यह अंकन किया गया है साथ ही इस नामांन्तरण को तत्काली तहसीलदार द्वारा खारिज किया गया है, खारिज किया जाने का नोट अस्पष्ट लिखा होने से पढने में नहीं आ रहा है। प्रदर्श–3 नकल जमाबंदी मौजा चन्दाखेडी की आराजी संख्या 493, 494, 495 की एवं अन्य आराजी नम्बरान की है उक्त आराजी नम्बरान वनविभाग हिस्सा पूर्ण वन विभाग के नाम पर दर्ज अंकित है। प्रदर्श–4 नक्शा ट्रेस आराजी का है। वादीया द्वारा जिला कलक्टर के आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत की है जो कि जिला कलक्टर द्वारा तहसीलदार बेगूँ को निर्देशित करते हुए पालना हेतु प्रति उपखण्ड अधिकारी को दी गई है। इन सभी दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, यह तथ्य स्पष्ट है कि वाद वर्णित गत आराजी संख्या 02 में रकबा 05 बीघा 07 बिस्वा भूमि का आवंटन वादीया के पिता देबीलाल को हुआ था , वादीया के पिता के अलावा आवंटन अन्य भूमिहीन काश्तकारों को भी किया गया था, उक्त सभी आवंटियों के नाम पर गैरखातेदारी हक से नामान्तरण किये जाने हेतु कार्यवाही किये जाने के लिए माननीय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा तहसीलदार बेगूँ को एक पत्र लिखा गया जिसकी पालना हेतु उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ को भी निर्देशित किया गया जिसकी पालना में सभी आवंटियों का नाम गैरखातेदारी हक से नामान्तरित किया गया, प्रदर्श–2 के अनुसार वादीया के पिता देबीलाल पिता भुवाना जटिया को गत आराजी संख्या 02 के नवीन आराजी संख्या 1027/493 रकबा 1बीघा 07 बिस्वा कुल किता–2 कुल रकबा 5बीघा 7 बिस्वा के लिए नामान्तरण खोला गया किन्तु उक्त नामान्तरण को तत्कालीन तहसीलदार बेगूँ द्वारा खारिज किया गया है, खारिज किन कारणों से किया है यह तथ्य नामान्तरण पर अपठित है, आवंटित भूमि का नामान्तरण जब सभी अन्य आवंटियों के नाम पर खोला गया तो वादीया के पिता के नाम पर क्यो नहीं खोला गया , जबकि वर्णित भूमि पर वादीया के द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है जिस जगह पर वादीया की कृषि भूमि है वह वन भूमि नहीं है यह तथ्य वादीया ने अपने बयानों में एवं वादीया के गवाह ने भी अपने बयानो में कहें है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्यों को तहसीलदार बेगूँ द्वारा भी अपने जवाब में अंकित किया है, अर्थात वादीया के पिता देबीलाल जटिया जो कि एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे तथा भूमिहीन कृषक होने के कारण उन्हें भूमि का आवंटन हुआ जब आवंटन हु आ तब वह भूमि बिलानाम भूमि थी, आवंटन भूप्रबन्ध पूर्व किया गया था, आवंटन के पश्चात आवंटियों को भूमि का कब्जा सौपा जाकर गैरखातेदारी हक से उनका नामान्तरण खोला गया किन्तु वादीया के पिता देबीलाल का नामान्तरण जो नवीन आराजी नम्बर से खोला गया वह खारिज किया गया, जबकि आवंटन के समय से ही भूमि पर कब्जा काश्त पूर्व में वादीया के पिता देबीलाल का एवं उनकी मृत्यु के पश्चात वादीया का चला आ रहा है, भूमि सेटलमेन्ट के बाद गत आराजी संख्या 02 जिसके नवीन आराजी संख्या 493 बने है वन विभाग में शामिल कर ली गई, यह प्रश्न विचारणीय है कि जितनी भूमि वन विभाग को दी गई उक्त भूमि के गत आराजी नम्बरान में जो भूमि आवंटित कृषको की थी उन्हें छोडते हुए वन विभाग को अपने खाते में स्थापित करनी चाहिए थी, यह स्पष्ट नहीं होता है कि वन विभाग द्वारा उनके खाते में अंकित से अधिक भूमि पर भोतिक रूप से कब्जा स्थापित किया हो, जब वादीया का वाद वर्णित भूमि पर कब्जा होकर उस पर फसल बो रखी हो तथा उस भूमि पर वन पैदावार नहीं हो तो वह भूमि किस प्रकार कही जायेगी? साथ ही वन विभाग की ओर से केवल अपना जवाब प्रस्तुत किया गया है कोई दस्तावेज ऐसा प्रस्तुत नहीं किया है जो इस तथ्य को सिद्ध करें कि उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं होकर वन हेतु वृक्षारोपण किया हुआ हो। जवाब मे जिन राज्य सरकार की अधिसूचनाऐं एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्बन्ध में अंकन किया है किन्तु उनके लिए कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है, यथा न्यायिक दृष्टान्त या राज्य सरकार की अधिसूचना की प्रति आदि। प्रतिवादी क्षैत्रीय वन अधिकारी ने अपने बयानों में वादीया का भूमि पर कब्जा होने, काश्त होने भूमि पर चारदीवारी होने के कथन को तो इन्कार किया है किन्तु उन्होने वन विभाग की भूमि का क्या आराजी नम्बर है याद नहीं होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:33:28 IST
Reason: SelfAttested

...लना तहसीलदार, बेगूँ द्वारा अक्षरशः कर ली होती तो आज वादीया को यह वाद पत्र लाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार वादीया को वाद वर्णित भूमि को अपने नाम पर घोषित कराने का अधिकार दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर सिद्ध होता है, तथा प्रतिवादी वनविभाग को वादीया की कृषि भूमि के स्वरूप को परिवर्तित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार यह तनकी नम्बर 1 बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

2— <u>तनकी नम्बर 02 का निर्णय</u> :—

इस तनकी को भी सिद्ध कराने का भार वादीया का ही है जैसा कि तनकी नम्बर 1 के विस्तृत निर्णय के अनुसार वादीया के पिता देवीलाल के नाम पर भूमि का आवंटन होकर उक्त भूमि पर वादीया काश्त कर रही है तथा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वाद वर्णित भूमि को वादीया की कृषि भूमि माना गया है, वर्णित भूमि वन भूमि नहीं है, जिससे वादीया की कृषि भूमि के स्वरूप को परिवर्तित करने का अधिकारी प्रतिवादी वन विभाग को नहीं है, वादीया प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकार रखती है, क्यो कि कृषि भूमि वादीया की कृषि भूमि है। इस प्रकार यह तनकी भी वादीया के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

3— <u>तनकी नम्बर 03 का निर्णयः</u>—

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी संख्या 1 का है, जिन्होने पत्रावली में कोई ठोस दस्तावेज या सबूत प्रस्तुत नहीं किया जो इस तथ्य को सिद्ध करदें कि वादीया के पिता को भूमि आवंटित नहीं हुई हो या वादीया का कब्जा काश्त वर्णित आराजी में न हो क्यो कि प्रतिवादी ने अपनी साक्ष्य में वन भूमि के आराजी संख्या याद नहीं होने की बात कही है जबकि वादीया ने अपने बयानों में व वादीया गवाहन ने अपने बयानों में वाद वर्णित भूमि पर वादीया का कब्जा होने व काश्त करने की बात को कहा है। साथ ही साथ ही वर्तमान आराजी नं0 493 वन भूमि है यह बात सत्य है किन्तु वादीया के पिता को भू प्रबन्ध से पूर्व इस आराजी नम्बर 493 के पूर्व आराजी नम्बर 02 में भूमि का आवंटन किया गया था तभी से उनका कब्जा काश्त भूमि पर रहा है,इस प्रकार प्रतिवादी इस तनकी को अपने पक्ष में सिद्ध कराने में असफल रहे है। अतः तनकी नं0 3 विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 बहक वादीया निर्णित की जाती है।

4— <u>तनकी नं0 4 का निर्णय</u> ::—

इस तनकी को भी सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी सं. 1 का ही है, यह बात सत्य है कि राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि पर वाद दायर किये जाने से पूर्व दफा 80 जा.दी. का नोटिस यथा समय सूचना पत्र के रूप में दिया जाना आवश्यक है, किन्तु समय की कमी या आपातकाली स्थिति में वाद प्रस्तुत करते समय नियमानुसार यदि वाद पत्र में प्रार्थना पत्र 80(2)सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो मान्य होता है, जहाँ तक प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश होने न होने का कथन है तो यदि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ.धा. 80(2) जा.दी. पर कोई बहस न होकर यदि उस पर कोई आदेश पारित नहीं भी किया हुआ हो लेकिन वाद पत्र न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया हो तो वह प्रार्थना पत्र अ.धा. 80(2) जा.दी. का स्वतः ही स्वीकार माना जावेगा। इस प्रकार इस तनकी को भी प्रतिवादी अपने पक्ष में सिद्ध नहीं करा पाये है। अतः तनकी नं0 4 विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 बहक वादीया निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:33:28 IST
Reason: SelfAttested

5— <u>तनकी नं0 5 का निर्णय</u> ::—

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी पर है, वन विभाग के अधिकारी जिला वन अधिकारी होते है जिन्हें पक्षकार बनाया जाना था , यह तथ्य वादीया जो कि अनूसूचित जाति की महिला है को ध्यान में नहीं हो सकता है, जहाँ तक वन विभाग का प्रश्न है वादग्रस्त भूमि भी वन विभाग के ही खाते दर्ज है तथा क्षैत्रीय वन विभाग की भूमि का अधिकारी क्षैत्रीय वन अधिकारी ही होता है, जिला वन अधिकारी को पक्षकार नहीं बनाये जाने का जहाँ तक प्रश्न है तो जमाबंदी अनुसार भूमि जिला वन अधिकारी के नाम दर्ज न हो कर वन विभाग के नाम पर दर्ज है, मात्र इस त्रुटी के रहते वादीया का वाद पत्र खारिज किया जाना हम न्यायसंगत नहीं समझते है। जहाँ तक वन अधिनियम 1953 की विभिन्न धाराओं में ...

तनकी नं0 6 व 7 का निर्णय ::–

पत्रावली में इन दोनो तनकी को सृजित किये जाने की आवश्यकता ही नहीं थी क्यो कि यह दोनो ही तनकीयॉ तनकी नं0 1 के विस्तृत निर्णय से बखूबी सिद्ध होती है। अतः यह दोनो तनकीयॉ भी बहक वादीया निर्णित की जाती है।

इस प्रकार पत्रावली में कायम की गई सभी तनकीयॉ दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से वादीया के पक्ष में सिद्ध हुई है। इस प्रकार वादीया का वाद पत्र अ0धा0 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीया अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है, मौजा चंदाखेडी प0ह0 शादी के सेटलमेन्ट पूर्व के आराजी संख्या 2 जिसके वर्तमान आराजी संख्या 493 रकबा 36.5930 हैक्टर भूमि जो कि वन विभाग की भूमि है मे से रकबा 5बीघा 07 बिस्वा को वन विभाग से कम करते हुए वादीया श्रीमति प्रेमबाई पिता देबीलाल जटिया निवासी चंदाखेडी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती हैं। साथ ही प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीया के पिता देबीलाल के नाम से आवंटितशुदा भूमि जो वादीया के कब्जे काश्त की भूमि है के स्वरूप को न तो स्वयं बिगाडे न ही अपने नौकर एजेन्ट कर्मचारी द्वारा बिगाडे। दावा अंतिक डिक्री किया जाता है तथा डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जावें।

निर्णय आज दिनांक27.10.2023 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:33:28 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठसीन अधिकारी श्री कैलाश चन्द्र गुर्जर

दावा संख्या ::–3/2023
प्रेमबाई पुत्री देवीलाल जटिया निवासी चंदाखेडी तह0 बेगूँ
(आदेश दि. 18.08.23 से निवासी चन्दाखेडी के बजाय तारी पीपली किया)
वादीया

बनाम

1– श्रीमान क्षैत्रीय वन अधिकारी महोदय वन विभाग कार्यालय, बेगूँ
2– श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बेगूँ
3– राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलक्टर महोदय, चितौडगढ़
प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88–188 राज0 काश्त0 अधि0

वादीया की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री विजय प्रकाश शर्मा की उपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88–188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 27.10.2023 को पीठासीन अधिकारी कैलाश चन्द्र गुर्जर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वाद वादीया अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है, मौजा चंदाखेडी प0ह0 शादी के सेटलमेन्ट पूर्व के आराजी संख्या 2 जिसके वर्तमान आराजी संख्या 493 रकबा 36.5930 हैक्टर भूमि जो कि वन विभाग की भूमि है मे से रकबा [illegible] 07 बिस्वा को वन विभाग से कम करते हुए वादीया श्रीमति प्रेमबाई पिता देबीलाल जटिया निवासी चंदाखेडी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती हैं। साथ ही प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीया के पिता देबीलाल के नाम से आवंटितशुदा भूमि जो वादीया के कब्जे काश्त की भूमि है के स्वरूप को न तो स्वयं बिगाडे न ही अपने नौकर एजेन्ट कर्मचारी द्वारा बिगाडे। दावा अंतिक डिक्री किया जाता है तथा डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जावें।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 27.10.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2024.03.11 15:33:28 IST
Reason: SelfAttested

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक/सरिश्ता/2023/469 दिनांक ::– 7.12.23
प्रतिलिपि अंतिम डिक्री की तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर,